प्रेस विज्ञप्ति
10.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 07.03.2025 को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, नोएडा और मुंबई में सोलह स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सोने/हीरे/कीमती पत्थरों की तस्करी के बदले भारी मात्रा में अवैध विदेशी धन भेजा गया था। तलाशी अभियान के दौरान 10 लाख रुपये की नकदी, अपराध–संकेती अभिलेख और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

ईडी ने सीमा शुल्क (निवारक), आयुक्तालय, जोधपुर द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर के समक्ष दायर विभिन्न शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि मेसर्स बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विजुअल बर्ड टेक्नोलॉजी के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से हांगकांग और यूएई स्थित विभिन्न विदेशी संस्थाओं को लगभग 400 करोड़ रुपये भेजे गए थे, जो कई फर्जी कंपनियों के जाल के माध्यम से सेवाओं के आयात की आड़ में भेजे गए थे, जो कभी प्राप्त नहीं हुए। हालाँकि, वास्तव में, सोने/हीरे/कीमती पत्थरों के अवैध आयात के बदले भारत के बाहर धन भेजा गया था।

आगे की जांच जारी है।